

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल
// आदेश //

भोपाल, दिनांक मई, 2023

क्रमांक /16/रूसा/सी.सी./19/38 राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2018 की धारा-4 (1) के प्रावधानों के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र.	परिषद् की संरचना	पदाधिकारी /सदस्य	मनोनीत सदस्य का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
एक	भारसाधक मंत्री, उच्च शिक्षा, म.प्र.शासन	अध्यक्ष	पदेन
दो	अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन;	उपाध्यक्ष	पदेन
तीन	सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट लोक (राज्य निधिक) विश्वविद्यालयों (मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित) से दो आसीन कुलपति तथा राज्य में स्थापित निजी राज्य विश्वविद्यालयों में से एक कुलपति;	सदस्य	<u>लोक विश्वविद्यालय</u> 1. प्रो. भरत मिश्रा, कुलपति, चित्रकूट विश्वविद्यालय, चित्रकूट, जिला सतना। 2. डॉ. खेमसिंह डहेरिया, कुलपति, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल। <u>निजी विश्वविद्यालय</u> डॉ. सुदेश कुमार सोहनी, कुलपति, आईईएस, विश्वविद्यालय, भोपाल।

चार	शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट छह शिक्षाविद् जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार आचार्यों के ही समतुल्य अर्हता और अनुभव रखते हों (जिनमें दो महिलाएं, एक अनुसूचित जाति तथा एक अनुसूचित जनजाति तथा मध्यप्रदेश राज्य के बाहर से कम से कम दो शिक्षाविद् सम्मिलित हैं);	सदस्य	<u>शिक्षाविद् मध्यप्रदेश से (कोई दो)</u> 1. डॉ. अर्पण भारद्वाज, क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, उज्जैन। 2. डॉ. राजेन्द्र कुरारिया, प्राध्यापक, भौतिकशास्त्र, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर। <u>अनुसूचितजाति/अनुसूचित जनजाति</u> 1. प्रो. प्रेमलता चुटेल, पूर्व प्राध्यापक विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन। 2. डॉ. श्रीमती कुसुमलता निंगवाल, पूर्व प्राचार्य, शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, महु, मो.नं. 9425948499 <u>शिक्षाविद् म.प्र.राज्य के बाहर से कोई दो</u> 1. प्रो. बिहारी लाल शर्मा, डायरेक्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री, संस्कृत केन्द्रीय विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (9911117489) 2. प्रो. नागेश्वर राव, कुलपति, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, दिल्ली
पांच	भारत सरकार नामनिर्देशिती;	पदेन सदस्य	पदेन सदस्य
छह	अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन;	पदेन सदस्य	पदेन सदस्य
सात	आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन;	पदेन सदस्य	पदेन सदस्य

आठ	संचालक, कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, भोपाल	पदेन सदस्य	पदेन सदस्य
नौ	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट, दो शासकीय स्वशासी महाविद्यालयों के प्राचार्य;	सदस्य	1.डॉ. पंजाबराव चन्देलकर, प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिंदवाड़ा 2.प्रो. के.एस. राठौर, शासकीय एम.एल.वी. महाविद्यालय, ग्वालियर, म.प्र.
दस	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश के दो निजी स्वशासी महाविद्यालयों के प्राचार्य या संचालक;	पदेन सदस्य	1.प्रो. पी.के. जैन, प्राचार्य, पायोनियर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, इन्दौर 2.प्रो. देवाशीष मलिक, निर्देशक, प्रेस्टिज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इन्दौर, मो.नं. 9819980020
ग्यारह	परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, मध्यप्रदेश शासन;	सदस्य/ सचिव	पदेन

1. मध्यप्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2018 के 4 (2) के प्रावधान अन्तर्गत प्रत्येक नियुक्ति अथवा नामनिर्देशन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।
2. मध्यप्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2018 के 5 (1) के प्रावधान अनुसार सरकार द्वारा सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) की नियुक्ति या नामनिर्देशन सामान्यतः दो वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा और वे द्वितीय अवधि के लिए केवल दो वर्ष के लिये पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे वे किसी भी सुविधा जैसे आवास, वाहन इत्यादि के हकदार नहीं होंगे।



निरन्तर...4..

//4//

3. यह आदेश इसी संबंध में पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 490/16/रूसा/सी.सी./19/38 दिनांक 27.08.2019 के स्थान पर जारी किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक 284/16/रूसा/सी.सी./19/38

भोपाल, दिनांक 01 मई, 2023

प्रतिलिपि:-

1. माननीय कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन सचिवालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
3. सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्च शिक्षा), नई दिल्ली।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, म.प्र.शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल मध्यप्रदेश।
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल मध्यप्रदेश।
7. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।
8. आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुडा भवन, भोपाल मध्यप्रदेश।
9. परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, भोपाल, मध्यप्रदेश।
10. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
11. कुलपति/कुलसचिव समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
12. संबंधित मनोनीत सदस्य।

अवर सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग